



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512]
No. 512]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 7, 2004/ज्येष्ठ 17, 1926
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2004/JYAISTHA 17, 1926

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2004

का. आ. 665(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ चौहत्तरवां संशोधन) नियम, 2004 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" उप-शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 20(ग) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
"20क. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2); केन्द्रीय जांच ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, जिसके अंतर्गत विधि प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग और प्रशासन प्रभाग भी हैं); खाद्य अपराध स्कंध; और आर्थिक अपराध स्कंध।";
(ख) "विद्युत मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"4. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, जैसा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) में प्रावधान है, का प्रशासन।";
(ग) "मंत्रिमंडल सचिवालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2004-कैब.]

के. एल. शर्मा, उप सचिव (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2004

S.O 665 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation) of Business Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and seventy-fourth Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—
 - (a) under the heading “MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (KARMIK, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA),” under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG),” after the entry 20 (c), the following entry shall be added, namely:—

“20A. The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947); the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.”;
 - (b) under the heading MINISTRY OF POWER “(VIDYUT MANTRALAYA),” for the entry 4, the following entry shall be substituted, namely:—

“4. Administration of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948) and Bhakra Beas Management Board as provided in the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966).”;
 - (c) under the heading “CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA),” the entry 3 shall be omitted.

A.P. J ABDUL KALAM, President

[F.No.1/22/1/2004-Cab.]

K.L. SHARMA, Dy. Secy (Cabinet)